स्पाइसेस बोर्ड के मुद्रण कार्यों तथा कागज के साथ विविध कार्यों केलिए मुद्रकों का पैनल तैयार करने हेतु अभिरुची की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है।

(संदर्भ संख्या : प्रचार-मुद्रण/0005/2021-प्रचार)

दिनांक : 08-02-2022

स्पाइसेस बोर्ड

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

सुगंध भवन, एन.एच. बैपास, पालारिवट्टम पी.ओ. ,

कोच्ची-682025 , केरल

फोन : 91-484-2333610

ई-मेल : publicity.sb-ker@gov.in

वेबसाइट : www.indianspices.com

विषयवस्तु

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	परिचय	3
2	स्पाइसेस बोर्ड के मुद्रण कार्यों तथा कागज के साथ विविध कार्यों केलिए मुद्रकों का पैनल तैयार करने हेतु अभिरुची की अभिव्यक्ति	4
3	कार्य का दायरा	4
4	आवश्यक पात्रता मानदंड	5
5	सामान्य निबंधन व शर्तें	5
6	ईओआई की प्रस्तुति	6
7	स्पाइसेस बोर्ड के मुद्रण कार्यों तथा कागज के साथ विविध कार्यों केलिए मुद्रकों का पैनल तैयार करने की चयन प्रक्रिया	7
8	अनुबंध	
	अनुबंध I: तकनीकी बोली	8
	अनुबंध II: आवेदक की वित्तीय स्थिति	9
	अनुबंध III: घोषणा	10

1. परिचय

स्पाइसेस बोर्ड (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) भारतीय मसालों के विकास और दुनिया भर में प्रचार के लिए गठित अग्रणी संगठन है। बोर्ड भारतीय निर्यातकों और विदेशों में आयातकों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय कड़ी है।

बोर्ड उद्योग के हर तबके को शामिल करते हुए भारतीय मसालों की उत्कृष्टता के लिए गतिविधियों की अगुवाई करता है। बोर्ड ने अपने विकास और प्रचार रणनीतियों के लिए गुणवत्ता और स्वच्छता को आधारशिला बनाया है।

स्पाइसेस बोर्ड की बहुआयामी गतिविधियों में छोटी और बड़ी इलायची के निर्यात संवर्धन, अनुसंधान, विकास और घरेलू विपणन का विनियमन, सभी मसालों की कटाई उपरांत सुधार, जैविक उत्पादन को बढ़ावा देना, मसालों का प्रसंस्करण और प्रमाणीकरण, उत्तर-पूर्व के मसालों का विकास, गुणवत्ता मूल्यांकन सेवाएं आदि शामिल हैं।

बोर्ड विभिन्न योजनाओं, जैसे व्यापार संवर्धन, ब्रांड प्रचार, अनुसंधान और उत्पाद विकास आदि, के माध्यम से मसाला निर्यात प्रोत्साहन का समर्थन करता है। बोर्ड विश्व बाजार में भारतीय मसालों और मूल्य वर्धित मसाला उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेता है।

स्पाइसेस बोर्ड का उद्देश्य, स्पाइसेस बोर्ड के मुद्रण कार्यों और कागज के साथ विविध कार्यों को सौंपने के लिए कोच्ची और उसके आसपास के ऑफसेट/डिजिटल मुद्रकों को सूचीबद्ध करने का है।

पूर्ण की गई बोलियों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ एक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसके ऊपर " **स्पाइसेस बोर्ड के मुद्रण कार्यों तथा कागज के साथ विविध कार्यों केलिए मुद्रकों का पैनल तैयार करने हेतु अभिरुची की अभिव्यक्ति "** लिखा होना चाहिए। प्रत्यूष टीपी, उप निदेशक, स्पाइसेस बोर्ड, एनएच बैपास रोड, पालारीवट्टम, कोच्ची - 682 025 को संबोधित करते हुए **28 फरवरी 2022, सायं 05.00 बजे** या उससे पहले पहुंच जाना चाहिए। बोलियां **02 मार्च, 2022 को सुबह 11.30 बजे** खोली जाएंगी।

2. स्पाइसेस बोर्ड के मुद्रण कार्यों तथा कागज के साथ विविध कार्यों केलिए मुद्रकों का पैनल तैयार करने हेतु अभिरुची की अभिव्यक्ति

स्पाइसेस बोर्ड, दो साल की अवधि के लिए बोर्ड के मुद्रण कार्य लेने के लिए कोच्ची और उसके आसपास के अनुभवी और प्रतिष्ठित ऑफसेट/डिजिटल मुद्रकों से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करता है। कार्य के दायरे में बुकलेट, ब्रोशर, पोस्टर, पैम्फलेट, विजिटिंग कार्ड, लेटरहेड आदि की छपाई शामिल है।

3. कार्य का दायरा

मुद्रण कार्य में मोटे तौर पर निम्नलिखित की छपाई शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है:

1. पुस्तिकाएं
2. पैनल
3. वार्षिक प्रतिवेदन
4. ब्रोशर
5. बैनर
6. पोस्टर
7. पर्चे
8. पत्रशीर्ष
9. विजिटिंग कार्ड

कागज की गुणवत्ता, आकार, पृष्ठों की संख्या आदि के लिए विनिर्देश अपेक्षानुसार बदलती रहती है और मुद्रकों से, दी गई समय सीमा के भीतर अच्छी गुणवत्ता के साथ मुद्रण कार्यों और विविध कार्यों को पूरा करने की उम्मीद की जाती है। मुद्रित सामग्री को स्पाइसेस बोर्ड, सुगंधा भवन, एन एच बै पास, पालारिवट्टम पी.ओ., कोच्ची- 682025 में उचित पैकिंग के साथ जब भी आवश्यक हो आपूर्ति की जाएगी। मुद्रक अच्छी गुणवत्ता वाले कागजों और कार्डों का उपयोग करेंगे, जो दाग-धब्बों से मुक्त हों और जिनमें उचित चमक, अपारदर्शिता और चिकनाई हो।

मुद्रक का पैनल, स्पाइसेस बोर्ड द्वारा पैनल के अनुमोदन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा और बोर्ड तथा सूचीबद्ध मुद्रक की आपसी सहमति से अतिरिक्त एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

स्पाइसेस बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट गुणवत्ता और समय सीमा को पूरा करने में विफलता के मामले में, मुद्रक से उचित दंड और लागत वसूल की जाएगी। अनुबंध प्रपत्र में बताई गई शर्तों का सूचीबद्ध मुद्रकों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाएगा।

मुद्रक को भुगतान, स्पाइसेस बोर्ड द्वारा मांग किए अनुसार हस्ताक्षरित डिलीवरी चालान और अन्य सहायक दस्तावेजों सहित सभी प्रकार से पूर्ण पूर्व-प्राप्त बिल, प्रतिलिपि के साथ, की प्राप्ति की तारीख से 30-60 दिनों की अवधि के भीतर जारी किया जाएगा। मुद्रकों को मुद्रण या कागज के लिए कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। मुद्रण के लिए अपेक्षित कागज की अपेक्षित मात्रा/गुणवत्ता की व्यवस्था मुद्रक द्वारा की जानी है और किसी भी परिस्थिति में कागज की अपेक्षित मात्रा/गुणवत्ता के अभाव में वितरण की अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी।

जिल्दजादी (Binding) से पहले नमूना प्रतियां स्पाइसेस बोर्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएंगी। तैयार पुस्तकों में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा दोष पाये जाने की स्थिति में आवश्यक सुधार मुद्रक द्वारा अपने खर्चे पर किया जायेगा।

मुद्रकों से प्राप्त थोक स्टॉक को स्पाइसेस बोर्ड के अधिकारियों द्वारा यादृच्छिक रूप से सत्यापित किया जाएगा। यदि कोई कमी पाई जाती है, तो बोर्ड तय करेगा कि जुर्माना लगाकर स्टॉक को स्वीकार किया जाए या पूरे स्टॉक को अस्वीकार कर दिया जाए। अस्वीकृति के मामले में, मुद्रक द्वारा अपने स्वयं के खर्च पर पूरा स्टॉक पुनर्मुद्रित किया जाना चाहिए और इस संबंध में स्पाइसेस बोर्ड का निर्णय अंतिम और मुद्रक पर बाध्यकारी होगा।

4. आवश्यक पात्रता मानदंड

1. आवेदक भारत में पंजीकृत कानूनी इकाई होना चाहिए और कोच्ची में स्थित होना चाहिए और उसके पास कोच्ची में स्थापित मुद्रण इकाई होनी चाहिए।

2. एजेंसी के पास मुद्रण कार्य में कम से कम तीन (3) वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए।
3. मुद्रण कार्य से पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2018-19, 2019-20, 2020-21) के लिए कंपनी का औसत वार्षिक कारोबार कम से कम 50 लाख रुपये और उससे अधिक होना चाहिए। वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित दस्तावेजी प्रमाण संलग्न किया जाना चाहिए।
4. प्रिंटर को पिछले तीन वर्षों (2018-19, 2019-20, 2020-21) के लिए प्रति वर्ष अपने ग्राहकों में कम से कम 3 (तीन) सरकारी विभागों के साथ पिछले तीन वर्षों से सरकारी विभागों / एजेंसियों या सूचीबद्ध कंपनियों के साथ काम करने का अनुभव होना चाहिए ।

5. सामान्य निबंधन व शर्तें

1. यह पैनल दो वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए होगा, जब तक कि स्पाइसेस बोर्ड द्वारा सेवा की कमी, काम की घटिया गुणवत्ता, संविदा का उल्लंघन, काम की आवश्यकता में कमी या समाप्ति के कारण इसे कम या समाप्त नहीं किया जाता है। एजेंसी द्वारा संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर बोर्ड द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले बाद के वर्षों के लिए पैनल को बढ़ाया जा सकता है ।

2. मुद्रक को किसी भी मुकदमे में शामिल नहीं होना चाहिए जो कि इस ईओआई के तहत आवश्यक सेवाओं के वितरण और सेवाओं के निष्पादन को प्रभावित या उसमें समझौता कर सकता है।

- मुद्रक को आयकर प्राधिकारियों के साथ पंजीकृत होना चाहिए और प्राधिकारियों द्वारा जारी पैन की एक प्रति ईओआई के साथ संलग्न की जानी चाहिए ।
- यदि मुद्रक द्वारा प्रदान की गई सेवा असंतोषजनक पाई जाती है या पैनल में शामिल करने के लिए प्रदान की गई जानकारी किसी भी स्तर पर झूठी साबित होती है, तो स्पाइसेस बोर्ड ईएमडी को जब्त करने के साथ पैनलबद्ध सूची से ऐसे किसी भी मुद्रक को हटाने का अधिकार रखता है ।
- प्रिंटर को इस अनुबंध के तहत अपने अधिकारों और देनदारियों को बोर्ड की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी अन्य कंपनी/फर्म/एजेंसी/ठेकेदार को हस्तांतरित, असाइन, गिरवी या उप-अनुबंध करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- स्पाइसेस बोर्ड बिना कोई कारण बताए किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है ।
- स्पाइसेस बोर्ड अग्रिम भुगतान नहीं करता है। अग्रिम भुगतान के किसी भी अनुरोध को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। फिरभि, यदि आवश्यक हो, तो अग्रिम का भुगतान सख्ती से समकक्ष बैंक गारंटी पर ही किया जाएगा। जो मुद्रक इन शर्तों के लिए तैयार हैं, केवल उन्हें पैनल में शामिल करने के लिए विचार किया जाएगा।

6. ईओआई प्रस्तुत करना

इच्छुक एजेंसी को निम्नलिखित विवरण के साथ रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करनी चाहिए :

1. आवेदन पत्र (अनुबंध I)

2. मुद्रक द्वारा मुद्रित सामग्री की प्रति सहित उनका प्रोफाइल ।

3. पैन कार्ड और जीएसटी पंजीकरण की प्रति

4. क्षेत्र में 3 वर्ष(वित्त वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21) के अनुभव के समर्थक दस्तावेज ।

5. पिछले तीन वर्षों (वित्त वर्ष - 2018-19, 2019-20, 2020-21) के लिए आयकर रिटर्न ।

6. चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा भरे और प्रमाणित कारोबार विवरण के साथ वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित लेखापरीक्षित तुलन-पत्र की प्रतियां।

7. ईएमडी कोच्ची में देय 'The Secretary, Spices Board' के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से आहरित रु.25000/- (पच्चीस हजार रुपये मात्र) की डीडी के रूप में होनी चाहिए

8. स्व-घोषणा कि "प्रिंटर किसी भी मुकदमेबाजी में शामिल नहीं है जो स्पाइसेस बोर्ड के साथ अनुबंध के निष्पादन और निष्पादन के इस ईओआई के तहत आवश्यक सेवाओं के वितरण को प्रभावित या समझौता कर सकता है ।"

9. क्षेत्र में विशेषज्ञता के प्रमाण में सरकारी संगठनों सहित कार्य आदेश की प्रतियां।

एक बोलीदाता केवल एक बोली जमा कर सकता है। यदि कोई बोलीदाता एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तो ऐसे प्रस्तावों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अंतिम तिथि और समय के बाद प्राप्त होने वाली बोलियों को मामले पर आगे किसी भी संचार के बिना अस्वीकार कर दिया जाएगा।

पूर्ण की गई बोलियों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ एक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसके ऊपर " **स्पाइसेस बोर्ड के मुद्रण कार्यों तथा कागज के साथ विविध कार्यों केलिए मुद्रकों का पैनल तैयार करने हेतु अभिरुची की अभिव्यक्ति "** लिखा होना चाहिए। प्रत्यूष टीपी, उप निदेशक, स्पाइसेस बोर्ड, एनएच बैपास रोड, पालारीवट्टम, कोच्ची - 682 025 को संबोधित करते हुए **28 फरवरी 2022, सायं 05.00 बजे** या उससे पहले पहुंच जाना चाहिए। बोलियां **02 मार्च, 2022 को सुबह 11.30 बजे** खोली जाएंगी।

7. पेपर के साथ स्पाइसेस बोर्ड एवं विविध कार्यों के मुद्रण के लिए मुद्रक के पैनल तैयार करने की चयन प्रक्रिया

- पैनल में शामिल करने के लिए मुद्रकों की शॉर्टलिस्टिंग बोली में दी गई जानकारी के आधार पर ही की जाएगी।
- पैनल में शामिल मुद्रकों की संख्या पर निर्णय बोर्ड के पास निहित होगा ।
- स्पाइसेस बोर्ड बिना कोई कारण बताए ऊपर उल्लिखित एक या सभी शर्तों को आंशिक या पूर्ण रूप से संशोधित करने, आशोधित करने, जोड़ने या हटाने, स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

8. अनुलग्नक

अनुलग्नक I

स्पाइसेस बोर्ड के मुद्रण कार्यों और कागज के साथ विविध कार्य के लिए ऑफसेट प्रिंटर के पैनल के लिए- रुचि की अभिव्यक्ति:-

क्रमांक	विशेष विवरण	विवरण
1)	नाम	
2)	स्थापना वर्ष	
3)	निगमीकरण का स्थान	
4)	पंजीकृत कार्यालय का पता	
5)	फोन नंबर के साथ कोच्चि में मुद्रण प्रतिष्ठान का पता	
6)	कंपनी का प्रोफाइल:	
7)	बोलीदाता की कानूनी स्थिति: (मालिक/ साझेदारी/प्राइवेटलिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड)	
8)	आयकर पंजीकरण का विवरण (वित्त वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 के लिए आईटी क्लीयरेंस/पैन विवरण संलग्न करें):	
9)	जीएसटी पंजीकरण (प्रति संलग्न करें):	
10)	सीईओ/एजेंसी के प्रमुख का संपर्क विवरण: (नाम, पता, फोन, ईमेल, मोबाइल)	
11)	कार्य अनुभव (सरकार/मंत्रालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के ग्राहक का विवरण प्रदान करें)	
12)	कारोबार: (समर्थन संलग्न करें दस्तावेज और विधिवत भरे हुए अनुबंध II)	
13)	ईएमडी विवरण	
14)	उन्नत मुद्रण प्रौद्योगिकी/प्रयुक्त मशीनरी का विवरण	

(आवेदक के हस्ताक्षर और नाम)

सील

स्थान और तिथि:

अनुलग्नक II

आवेदक की वित्तीय स्थिति

चार्टर्ड या पब्लिक अकाउंट या चैंबर ऑफ कॉमर्स द्‍वारा विधिवत प्रमाणित पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के लिए रिक्त स्थान भरें।

पिछले 3 वर्षों के दौरान कारोबार:

राशि	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**

(आवेदक के हस्ताक्षर और नाम)

सील

स्थान और तिथि:

अनुलग्नक III

घोषणा

मैं/हम (नाम) (पदनाम) (फर्म) एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से पुष्टि और घोषणा करते हैं कि व्यक्ति/फर्म/कंपनी को किसी भी सरकारी विभाग/स्वायत्त निकाय/निजी संगठन द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है। इसके अलावा, किसी भी सरकारी विभाग/स्वायत्त निकाय/निजी संगठन या न्यायालय द्वारा कोई मुकदमा जांच लंबित और/या शुरू नहीं की गई है।

मैं/हम (नाम) ________________________ (पदनाम) _________________________ (एजेंसी / फर्म / कंपनी का नाम) ने स्पाइसेस बोर्ड के मुद्रण कार्यों तथा कागज के साथ विविध कार्य (संदर्भ संख्या...........................) के लिए ऑफसेट प्रिंटर के पैनल के लिए स्पाइसेस बोर्ड के निविदा दस्तावेज के निबंधन व शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और एतद्द्वारा स्वीकार करते हैं।

(अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

पूरा नाम:

पद:

एजेंसी का नाम और पता:

सील:

स्थान :

दिनांक: